न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :– रामकरण सिंह, (RAS)

दावा सं0––155ए/2025

प्रविष्टि दिनांक––02.07.2025

1. सोनारायण पुत्र लादूराम जाति बैरवा उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम करेड़ा बुजूर्ग तह0 निवाई जिला–टोंक राज0 हाल निवासी मुलकी नगर रावली महदूद भादराबाद हरिद्वार

वादी

बनाम

1. सुगना पुत्री शोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम करेड़ा बुजूर्ग तह0 निवाई जिला–टोंक राज0
2. नाथूराम पुत्र लादूराम जाति बैरवा निवासी ग्राम करेड़ा बुजूर्ग तह0 निवाई जिला–टोंक राज0
3. सुशीला पुत्री लादूराम जाति बैरवा निवासी ग्राम करेड़ा बुजूर्ग तह0 निवाई जिला–टोंक राज0
4. तहसीलदार निवाई जिला–टोंक
5. नायब तहसीलदार/उपपंजीयक दत्तवास व निवाई जिला टोंक

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री रमेश कुमार शर्मा–वकील वादीगण
श्री रवि कुमार जैन– वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

दावा–बाबत् उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, निवाई व हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है। वाद वादी उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा मुताबिक राजीनामा उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज की हद तक एवं ख0नं0 216 रकबा 0. 2276 हैक्टे, व खसरा नम्बर 365/1 रकबा 0.0126 हैक्टे. भूमि वाके ग्राम करेड़ा बुजुर्ग की हद तक स्वीकार किया जाता है। ख0नं0 216 रकबा 0.2276 हैक्टे, वाके ग्राम करेड़ा बुजुर्ग में व ख0नं0 365/1 रकबा 0. 0126 वाके ग्राम करेड़ा बुजुर्ग में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में से वादी को 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें।

मोहर

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	शून्य	शून्य	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	शून्य	शून्य
मीज़ान			मीज़ान		

आज दिनांक 29/09/25 को ये अंतिम डिक्री पर्चा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

जाने से उक्त आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से मिलीभगत करके खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इस कारण वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के हक व हिस्से की भूमि में से वादी का 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है। एंव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के अकेले के जो पुश्तैनी भूमि का नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उसे निरस्त फरमाया जावे। वादी के हक व हिस्से की 1/6 हिस्से की भूमि जो वादी को अपने पूर्वज की विरासत में मिली उसमें किसी भी प्रकार से कोई बाधा, मजाहमत, रूकावट नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पांवद फरमाया जावें।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के साथ दस्तावेजात के रूप में जमाबंदी संवत् 2070–73 पेश की गयी। जो शामिल पत्रावली हो।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रवि कुमार जैन ने इकबालिया जवाब दावा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने स्वंय उपस्थित होकर एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया जो दिनांक 25.09.2025 को तस्दीक किया गया।

अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी की राजीनामा पर बहस सूनी गई। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी ने राजीनामा अनुसार वाद डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी प्रतिवादीगण की ओर से पेश राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा में अंकितानुसार व अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी की बहस अनुसार ख0नं0 216 रकबा 0.2276 हैक्टे, व खसरा नम्बर 365/1 रकबा 0.0126 हैक्टे. भूमि वाके ग्राम करेड़ा बुजुर्ग में वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल किये जाने हेतु निवेदन किया। तथा ख0नं0 1254/3 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम करेड़ा में कोई अनुतोष नहीं चाहने बाबत निवेदन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति से राजीनामा अनुसार दावा उद्घोषणा की हद तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

फलतः वाद वादी उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा मुताबिक राजीनामा उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज की हद तक एवं ख0नं0 216 रकबा 0.2276 हैक्टे, व खसरा नम्बर 365/1 रकबा 0.0126 हैक्टे. भूमि वाके ग्राम करेड़ा बुजुर्ग की हद तक स्वीकार किया जाता है। ख0नं0 216 रकबा 0.2276 हैक्टे, वाके ग्राम करेड़ा बुजुर्ग में व ख0नं0 365/1 रकबा 0.0126 वाके ग्राम करेड़ा बुजुर्ग में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में से वादी को 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें।

निर्णय आज **दिनांक** 29/09/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निवाई